अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2018 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान गोदारा चक 18 एन.पी. मोहननगर तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार उपस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का प्रतिवेदन संख्या सूकाअ/18/581 दिनांक 09.04.2018 शामिल किया गया। अपीलार्थी की बहस दिनांक 30.04.2018 को सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार का कथन था कि उसके द्वारा दिनांक 07.02.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रेषित कर सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा वांछित सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अतः सूचना के अधिकारी 2005 के तहत सूचना करवाने का आदेश प्रदान किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> उक्त विषय में नम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने चक 6 एस.ए.डी. –18 एनपी से सम्बन्धित अपनी समस्या समाधान बारे राज्य सरकार को लिखा था जो पक्का खाला से सम्बन्धित थी उस बारे श्रीमान जिला कलक्टर ने आपजी को पत्र प्रेषित कर उचित सुनवाई बारे लिखा था। उक्त सुनवाई के बाद आपजी ने क्या पत्र या जवाब श्रीमान को वापस लिखा उसकी सत्य प्रतिलिपि प्रार्थी चाहता है। अर्थात
>
> जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक 30.06.2014 को प्रेषित पर जिसका क्रमांक एफ(14)सतर्कता(1322)(2014) 27006 है के जवाब में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई सुनवाई/कार्यवाही/समाधान की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र सं0 सूकाअ/18/581 दिनांक 09.04.2018 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच कर चाही गई सूचना मूल रिकॉर्ड अभिलेखागार, अनूपगढ में जमा होने के कारण वहां से प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ/18/347 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अभिलेखागार, अनूपगढ से प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2018 के अनुसार अभिलेखागार, अनूपगढ में जमा करवाया जा चुका है। **इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में अभिलेखागार, अनूपगढ में कार्यवाही करनी चाहिए। चूंकि लोक सूचना अधिकारी के पास वांछित सूचनाओं का अभिलेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21.02.2018 को दिया गया उतर सही हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता नहीं हैं**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर